रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2015/कार्तिक 5, 1937
No. 658] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2015/KARTIKA 5, 1937

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 808(अ).—केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के पंरतुक के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान (दुर्घटना और घटनाओं की जांच) नियम, 2012 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दुर्घटना और घटनाओं की जांच) संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान (दुर्घटना और घटनाओं की जांच) नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में (i) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(ञक) "योगदायी कारको" से कोई कार्रवाई, लोक, घटना, स्थिति या उनका कोई संयोजन अभिप्रेत है, यदि जिसको दूर किया जाता, बचा जाता या जिसकी अनुपस्थिति होने वाली दुर्घटना या घटना की संभावना को कम कर देती या दुर्घटना या घटना की भीषणता के परिणामों को कम कर देती और योगदायी कारको की पहचान का अर्थ कसूर का समनुदेशन या प्रशासनिक, सिविल या दांडिक दायित्व का अवधारण नहीं है' ;

(ii) खंड (ञङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ञच) "राज्य सुरक्षा कार्यक्रम" से विनियमों का कोई एकीकृत सेट तथा सुरक्षा में सुधार करने के लिए लक्ष्यित कार्यकलाप अभिप्रेत हैं' ;

3. उक्त नियमों में नियम 8 में, उपनियम (3) में खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ज) महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा वास्तविक या संभाविक सुरक्षा खामियों पर सूचना के प्रभावी विश्लेषण को सुकर बनाने के लिए दुर्घटना और गंभीर दुर्घटना डाटाबेस की स्थापना और अनुरक्षण ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 18 में,--

(i) उपनियम (1) में, "वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो" शब्दों के स्थान पर "महानिदेशक, नागर विमानन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (4) में, प्रारंभिक भाग में "उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट सुसंगत व्यक्ति, सेवा प्रदाता और पणधारियों में", शामिल होंगे,-- "किसी दुर्घटना से ब्यूरो और महानिदेशक को ऐसी दुर्घटना या घटना होने के पश्चात् 24 घंटे के भीतर नीचे विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं और पणधारियों द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त और तीव्रता रीति में अधिसूचित किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में,--

(i) उपनियम (1) में, "वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो" शब्दों के स्थान पर "महानिदेशक, नागर विमानन" शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**20. किसी दुर्घटना और घटना डाटाबेस का अनुरक्षण**—वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो एक दुर्घटना और गंभीर घटना डाटाबेस की स्थापना और अनुरक्षण करेगा तथा उसे महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा रखे जा रहे राज्य सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन सुरक्षा डाटा में सम्मिलित करने के लिए उपलब्ध कराएगा" ।

7. उक्त नियमों में अनुसूची क में पैरा 2 में,--

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कक) टक्कर, जिन्हें दुर्घटनाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है ।" ;

(ii) खंड (छ) में "और यात्री कम्पार्टमेंट में धुंआ" शब्दों के स्थान पर "या यात्री कम्पार्टमेंट में काकपिट में धुंआ"' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ठ) पायलट द्वारा किसी आपात स्थिति की घोषणा की अपेक्षा करने वाला ईंधन मात्रा स्तर या वितरण स्थितियां, जैसे अपर्याप्त ईंधन, ईंधन का समाप्त हो जाना, ईंधन की कमी या बोर्ड पर उपयोग योग्य सभी ईंधन का उपयोग करने में असमर्थतता ।" ;

(iv) खंड (ण) में, हो सकती हैं" शब्दों के स्थान पर "जिन्होंने कारित की या कारित कर सकती हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(थ) अनजाने में या आपात स्थिति उपाय के रूप में जान बूझकर किसी सलंग भार को या किसी अन्य भार को, जिसे वायुयान से बाह्य रूप में ले जाया जा रहा है ।"।

[फा. सं. एवी-11011/33/2015-डीजी]

बी. एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : 1. मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 536(अ) तारीख 5 जूलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

2. केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक हित में इस अधिसूचना के पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश एवी.11011/33/2015-डीजी तारीख 16 अक्टूबर, 2015 द्वारा अभिमुक्ति प्रदान करती है ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2015

G.S.R. 808(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 read with thre proviso to section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, –

(i) after clause (j) the following clause shall be inserted, namely:–

'(ja) "contributing factors" mean actions, omissions, events, conditions, or a combination thereof, which if eliminated, avoided or absent, would have reduced the probability of the accident or incident occurring, or mitigate the severity of the consequences of the accident or incident and the identification of the contributing factors does not imply the assignment of fault or determination of administrative, civil or criminal liability';

(ii) after clause (ze), the following clause shall be inserted, namely:–

'(zf) "State Safety Programme" means an integrated set of regulations and activities aimed at improving safety';

3. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (3), for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:–

"(h) establish and maintain an accident and serious incident database to facilitate the Director-General of Civil Aviation in effective analysis of information on actual or potential safety deficiencies.".

4. In the said rules, in rule 18,–

(i) in sub-rule (1), for the words "Aircraft Accident Investigation Bureau", the words "Director-General of Civil Aviation" shall be substituted.;

(ii) sub-rule (2) shall be omitted;

(iii) in sub–rule (4), in the opening portion, for the words "The relevant persons, service providers and stakeholders specified in sub-rule (2) shall include, –'', the words "Any accident or incident shall be notified to the Bureau and the Director- General not later than twenty four hours of such accident or incident, in the most suitable and quickest manner by the service providers and stakeholders specified below:" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 19, in sub-rule (1), for the words "Aircraft Accident Investigation Bureau", the words "Director-General of Civil Aviation" shall be substituted.

6. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:–

"20. Maintenance of an accident and incident database.– The Aircraft Accident Investigation Bureau shall establish and maintain an accident and serious incident database and provide the same for inclusion in safety data being maintained under the State Safety Programme by the Director-General of Civil Aviation".

7. In the said rules, in Schedule A, in paragraph 2, –

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:–

"(aa) Collisions not classified as accidents.";

(ii) in clause (g), for the words "and smoke in the passenger", the words "or smoke in the cockpit, in the passenger" shall be substituted;

(iii) for clause (l), the following clause shall be substituted, namely:–

"(l) Fuel quantity level or distribution situations requiring the declaration of an emergency by the pilot, such as insufficient fuel, fuel exhaustion, fuel starvation, or inability to use all usable fuel on board.";

(iv) in clause (o), for the words "which could have", the words "which caused or could have" shall be substituted;

(v) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:–

"(q) The unintentional or, as an emergency measure, the intentional release of a slung load or any other load carried external to the aircraft.".

[F. No. AV-11011/33/2015- 2015 DG]

B. S. BHULLAR, Jt. Secy.

Note: - 1. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number G.S.R.536 (E), dated the 5th July, 2012.

2. The Central Government in the exercise of the powers conferred by the proviso to section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) has in the public interest dispensed with the condition of previous publication in case of this notification vide its Order No. AV.11013/33/2015-DG date 16th October, 2015 issued in Ministry of Civil Aviation.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.